किसी भी कार्यस्थल या नौकरी की जगह पर एक विशिष्ट स्थान पर पोस्ट करें।
उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आधिकारिक नोटिस

लॉस एंजिल्स न्यूनतम वेतन

1 जुलाई 2016 से प्रभावी दर

$10.50 प्रति घंटा

1 जुलाई 2016 से शुरू करते हुए, सभी नियोक्ताओं को लॉस एंजिल्स न्यूनतम वेतन अध्यादेश के अनुसार कर्मचारियों को एक नया न्यूनतम वेतन का भुगतान करने की ज़रूरत होगी। न्यूनतम वेतन अध्यादेश की धारा 187.02 के अनुसार न्यूनतम वेतन दर को लॉस एंजिल्स में हर साल समायोजित किया जाएगा। कुछ छूटें और स्थगन उपलब्ध हो सकते हैं।

26 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता	
7/1/2016	**$10.50**
7/1/2017	**$12.00**
7/1/2018	**$13.25**
7/1/2019	**$14.25**
7/1/2020	**$15.00**

25 या कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता या एक आस्थगित दर का भुगतान करने के अनुमोदन के साथ 26 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले गैर-लाभ कार्पोरेशन:	
7/1/2017	**$10.50**
7/1/2018	**$12.00**
7/1/2019	**$13.25**
7/1/2020	**$14.25**
7/1/2021	**$15.00**

लॉस एंजिल्स ऑफिस ऑफ वेज स्टैंडर्ड्स (वेतन मानकों का लॉस एंजिल्स कार्यालय) का अध्यादेश ब्यूरो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एड्मिनिसट्रेशन, ऑफिस ऑफ वेज स्टैंडर्ड्स को संभावी उल्लंघन की छान-बीन करने, कार्यस्थलों की जांच करने, कर्मचारियों का इंटरव्यू लेने, और पेरोल रिकॉर्डों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। ऑफिस ऑफ वेज स्टैंडर्ड्स (वेतन मानकों का कार्यालय) शहर के न्यूनतम वेतन अध्यादेश को उल्लंघनों के लिए लागू करेगा, लेकिन यह इस तक सीमित नहीं है: 1) लॉस एंजिल्स में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफलता; 2) सूचना देने, पोस्ट करने, और पेरोल रिकॉर्ड आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता; और 3) बदले की कार्रवाई लॉस एंजिल्स म्यूनिसिपिल कोड का अनुभाग 188.04 कर्मचारियों को शहर के न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने पर किसी भेदभाव या बदले की कार्रवाई से सुरक्षा देता है।

लॉस एंजिल्स वैतनिक अस्वस्थता अवकाश

प्रभावी 1 जुलाई 2016

1 जुलाई 2016 से सभी नियोक्ता, सिवाय ऐसे नियोक्ताओं के जिनके यहां 25 या कम कर्मचारी हैं, को लॉस एंजिल्स न्यूनतम वेतन अध्यादेश के अनुसार वैतनिक अस्वस्थता अवकाश प्रदान करने की आवश्यकता होगी। वैतनिक अस्वस्थता अवकाश ऐसे सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो कि लॉस एंजिल्स शहर में एक वर्ष के अन्दर उसी नियोक्ता के यहां 30 या अधिक दिनों के लिए किसी सप्ताह विशेष में न्यूनतम दो घंटे कार्य किए हुए हों। 25 या कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से वैतनिक अस्वस्थता अवकाश लाभ प्रदान करना आरम्भ करेंगे।

पात्रता	
अग्रभार (फ्रंट लोडिंग)	नियोजन के प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में या तो न्यूनतम 48 घंटे प्रदान किए जाएं, कैलेण्डर वर्ष अथवा 12 माह की अवधि ; अथवा-
प्रोद्भवन (एक्रुअल)	प्रत्येक कार्य किए गए 30 घंटों के लिए एक घंटे का वैतनिक अस्वस्थता अवकाश।
72 घंटे की सीमा	प्रोद्भूत (एक्रूड) अप्रयुक्त वैतनिक अस्वस्थता अवकाश को नियोजन के अगले वर्ष में ले जाया जाएगा, तथा न्यूनतम 72 घंटों की सीमा अवश्य होना चाहिए; वैसे एक नियोक्ता कोई भी सीमा ना लगाने या एक उच्चतर सीमा लगाने का निर्णय स्वयं ले सकता है।
नियोजन से पृथक्कीकरण	नियोजन से पृथक्कीकरण के समय नियोक्ता को किसी प्रोद्भूत (एक्रूड) या अप्रयुक्त अस्वस्थता दिवसों के लिए कर्मचारी को प्रतिपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पुन:स्थापन	यदि किसी कर्मचारी को नियोजन से पृथक्कीकरण के एक वर्ष के अन्दर पुन: भर्ती किया जाता है, तो पिछले प्रोद्भूत (एक्रूड) या अप्रयुक्त वैतनिक अस्वस्थता अवकाश को पुन:स्थापित किया जाएगा।

उपयोग	
कब	कर्मचारी नियोजन के 90वें दिन या 1 जुलाई 2016, जो भी बाद में हो, के आरम्भ से वैतनिक अस्वस्थता अवकाश का प्रयोग कर सकते हैं।
कैसे	एक नियोक्ता, किसी कर्मचारी द्वारा — अपने स्वयं के लिए अथवा किसी परिजन के लिए अथवा रक्त या बंधुत्व द्वारा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के लिए — मौखिक या लिखित अनुरोध पर वैतनिक अस्वस्थता अवकाश प्रदान करेगा। समय के क्वालीफाइड उपयोग के बारे में LAMC सेक्शन 187.04(G) में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
	वैतनिक अस्वस्थता अवकाश का उपयोग 48 घंटे के वार्षिक अवकाश तक सीमित किया जा सकता है।.

लॉस एंजिल्स म्युनिसिपल कोड सेक्शन 187.06, शहर के वैतनिक अस्वस्थता अवकाश प्राप्त करने के कर्मचारियों के अधिकार का प्रयोग करने के कारण उनके साथ किसी भी भेदभाव या प्रतिकारपूर्ण कार्रवाई से उनकी सुरक्षा करता है।

और अधिक जानकारी के लिए वेतन मानक कार्यालय (Office of Wage Standards) से सम्पर्क करें
1-844-WAGESLA(924-3752) पर, अथवा ईमेल करें wagesla@lacity.org अथवा

अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट के टाइटल II के अंतर्गत एक सुरक्षित निकाय (कवर्ड एंटिटी) के तौर पर, लॉस एंजेल्स शहर द्वारा विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और अनुरोध करने पर इसके कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुचित सामंजस्य प्रदान किया जाएगा।